(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं० 7/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 11 मई, 2018

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट–3 ख में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा इस महानिदेशालय द्वारा पूर्व में जारी निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्र० सं०	सार्वजनिक सूचना संख्या	सार्वजनिक सूचना के अनुसार मौजूदा पैरा	सार्वजनिक सूचना में संशोधित पैरा
1	42/2015–20 दिनांक 24.11.2017	2. निम्नलिखित आईटीसी एचएस कोडों के लिए एमईआईएस दरें कॉलम 4 के अनुसार बढ़ाई गई हैं, तथापि ये दरें 01.11.2017 से 30.06.2018 तक वैध रहेंगी।	"01.11.2017 से आगे निर्यात के लिए निम्नलिखित आईटीसी एचएस कोडों के लिए एमईआईएस दरें कॉलम 4 के अनुसार बढ़ाई जाती हैं,
2	44/2015–20 दिनांक 05.12.2017	2. "... इस सार्वजनिक सूचना के तहत संशोधित दरें दिनांक 01.11.2017 से 30.06.2018 तक किए गए निर्यात के लिए लागू होंगी।	2. "... इस सार्वजनिक सूचना के तहत संशोधित दरें दिनांक 01.11.2017 से आगे किए गए निर्यात के लिए लागू होंगी।
3	2/2015–2020 दिनांक 01.05.2018	पैरा 2 कॉलम (5) का शीर्ष–"01.11.2017 से 30.06.2018 तक के लिए एमईआईएस दर"	पैरा 2 कॉलम (5) का शीर्ष" 01.11.2017 से आगे के लिए एमईआईएस दर"
4	45/2015–20 दिनांक 05.12.2017	परिशिष्ट 3 घ का अनुलग्नक टिप्पणी 1 : इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के अनुसार सेवाओं और प्रतिफलों की दरें केवल 01.04.2017 से 31.03.2018 के बीच किए गए सेवा निर्यात के लिए लागू होंगी। सेवा/दर की सूची दिनांक 01.04.2018 से समीक्षा के अधीन है।	परिशिष्ट 3 घ का अनुलग्नक टिप्पणी 1 : सार्वजनिक सूचना सं० 45/2015–20 दिनांक 05.12.2017 के अनुलग्नक के अनुसार सेवाओं और प्रतिफलों की दरें 01.04.2017 से 31.03.2018 के बीच किए गए सेवा निर्यात के लिए लागू होंगी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रभावी सेवाओं की दरें सार्वजनिक सूचना 45/2015–20 दिनांक 05.12.2017 के अनुलग्नक के कॉलम सं० 5 में उल्लिखित दरों के अनुसार होंगी।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः परिशिष्ट 3 ख में एमईआईएस/परिशिष्ट 3 घ में सेवा श्रेणियों के तहत मदों की दरें जिन्हें मध्यावधि समीक्षा में बढ़ाया गया था, 30.06.2018 से आगे भी जारी रहेंगी।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 1/61/180/68/एएम15/पीसी–3 से जारी)